

प्रेषण,

श्री अमीर साहनी,
उप निदेश,
उत्तर प्रदेश सरकार ।

सेवा में,

राज्य
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विभाग क्र. 2 समुदाय केंद्र,
श्रीति विहार नई दिल्ली ।

दिनांक 17 अगस्त

संख्या: दिनांक: 6 अगस्त, 1995

विषय:- वर्धमान एकादमी केन बोर्डिंग हाउस मेरठ को सी.सी.ओ.ए.सी. नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र पेटे जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह ज्ञान का निदेश हुआ है कि वर्धमान एकादमी केन बोर्डिंग हाउस मेरठ को सी.सी.ओ.ए.सी. नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की वेबसाइट को साफ़्टी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से जितनी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वार्षिक और वार्षिक पूर्व में मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीतिन फार दि इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्थानों/विशेष एवं विशेषज्ञ कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों को सेवा शर्तें बतायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनापत्ति उत्पत्ति माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

Principal
Vardhman Academy
Railway Road, Meerut

MAHAGU
VARDHMAN ACADEMY
MEERUT

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था के सम्बन्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक प्रामाणिक, उच्च मानकानुसंग धेतर दिया जा रहा है । कौशल/कौशल योजना समस्त कर्मचारियों के लिए लागू है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गड़बड़ या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

अवधीय,

13 मार्च 1995
उप सचिव ।

पुर्ण सं 3134111/15-7-1995 सहस्रिका

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- माधवीय उप-शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेजी भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, वर्धमान संस्कृत, केन कोडिंग हाउस मेरठ ।

अज्ञात से,

Principal
Vardhman Academy
Railway Road, Meerut

MANAGER
VARDHMAN ACADEMY
MEERUT

13 मार्च 1995
उप सचिव ।